परिशिष्ट – एक
परीक्षा योजना

1. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में दो क्रमिक चरण हैं –

(1) मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न); और

(2) सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिये उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित तथा साक्षात्कार)।

2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार (**बहुविकल्पीय** प्रश्न) के दो प्रश्न पत्र होंगे । **प्रत्येक प्रश्नपत्र की रचना निम्नलिखित योजनानुसार की जायेगी :–**

प्रथम प्रश्न पत्र	सामान्य अध्ययन	2 घंटे	200 अंक
द्वितीय प्रश्न पत्र	**सामान्य अभिरुचि परीक्षण**	2 घंटे	200 अंक

3. **यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के रूप में ली जाती है । इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य/ अर्ह घोषित किया जाता है । अंतिम चयनसूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी ।**

4. (1) दोनों प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (**बहुविकल्पीय** प्रश्न) के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिये चार सम्भाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ,ब,स और द में समूहीकृत किया जायेगा, जिनमें से केवल एक सही उत्तर होगा। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णीत सही माने गये अ, ब, स, या द में से केवल एक उत्तर पर चिन्ह लगाएं।

(2) **प्रत्येक** प्रश्नपत्र **में 2–2 अंक के** 100 प्रश्न **होंगें । प्रत्येक** प्रश्नपत्र 200 **अंकों का होगा तथा प्रत्येक** प्रश्नपत्र **की समयावधि 2 घंटे होगी ।**

(3) **प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन तथा सामान्य अभिरुचि परीक्षण** के विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट–दो में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

(4) प्रत्येक प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में होगा।

5. मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दर्शित की गई सेवा तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गो से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या से लगभग 15 गुना होगी। केवल वे ही उम्मीदवार, जिन्हें आयोग ने **संबंधित** विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में अर्ह घोषित किया हो, मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग एवं **विकलांग श्रेणी** के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 30 प्रतिशत होंगे।

6. मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा सम्मिलित होगी।

(1) लिखित परीक्षा – लिखित परीक्षा में परंपरागत निबंध शैली के प्रश्नों के सात प्रश्न पत्र होंगे, जो

नीचे दिए गये हैं –

<table>
<tr><td colspan="4">(क) अनिवार्य प्रश्न पत्र</td></tr>
<tr><td>प्रथम प्रश्न पत्र</td><td>सामान्य अध्ययन</td><td>3 घंटे</td><td>300 अंक</td></tr>
<tr><td>द्वितीय प्रश्न पत्र</td><td>सामान्य अध्ययन</td><td>3 घंटे</td><td>300 अंक</td></tr>
<tr><td>तृतीय प्रश्न पत्र</td><td>सामान्य हिन्दी</td><td>3 घंटे</td><td>300 अंक</td></tr>
<tr><td colspan="4">(ख) ऐच्छिक प्रश्न पत्र</td></tr>
<tr><td>चतुर्थ प्रश्न पत्र
पंचम प्रश्नपत्र
षष्ट प्रश्नपत्र
सप्तम प्रश्नपत्र</td><td>कोई दो विषय (जो पैरा 7 में दिए गए ऐच्छिक विषयों की सूची में से) चुने जाएंगे। प्रत्येक विषय के दो प्रश्न–पत्र होंगे।</td><td>3 घंटे</td><td>प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिये 300 अंक</td></tr>
</table>

(2) साक्षात्कार परीक्षा – साक्षात्कार परीक्षा के लिये 250 अंक होंगे।

टीप – **साक्षात्कार में अर्हता हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों** को प्रत्येक प्रश्नपत्र में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है **एवं** अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछडा वर्ग तथा **विकलांग उम्मीदवारों हेतु** न्यूनतम अर्हकारी अंक 23 प्रतिशत होंगे।

7. मुख्य परीक्षा के लिये ऐच्छिक विषयों की सूची –

कोड संख्या	विषय
01	कृषि
02	पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान
03	प्राणी शास्त्र
04	वनस्पति शास्त्र
05	रसायन शास्त्र
06	भौतिकी
07	गणित
08	सांख्यिकी
09	सिविल इंजीनियरिंग
10	विधुत इंजीनियरिंग
11	यांत्रिकी इंजीनियरिंग
12	वाणिज्य एवं लेखाशास्त्र
13	अर्थशास्त्र
14	इतिहास
15	भूगोल
16	भू–विज्ञान
17	राजनीति शास्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध
18	लोक प्रशासन

19 समाज शास्त्र
20 अपराध शास्त्र तथा न्यायिक विज्ञान
21 मनोविज्ञान
22 दर्शन शास्त्र
23 विधि
24 हिन्दी साहित्य
25 अंग्रेजी साहित्य
26 संस्कृत साहित्य
27 उर्दू साहित्य
28 मानव विज्ञान
29 सैन्य विज्ञान

8. उम्मीदवार को निम्नलिखित विषय एक साथ लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
(1) राजनीति शास्त्र और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध तथा लोक प्रशासन
(2) मानव विज्ञान और समाज शास्त्र
(3) गणित और सांख्यिंकी
(4) कृषि तथा पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान
(5) इंजीनियरी विषय अर्थात् सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग तथा यांत्रिकी इंजीनियरिंग में से, एक से अधिक विषय नहीं ले सकेगें।
(6) हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य और उर्दू साहित्य में से एक से अधिक विषय नहीं ले सकेंगे।

9. (1) प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा।
(2) परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र परंपरागत निबंध शैली के होंगे।
(3) (क) भाषा के प्रश्नपत्रों को छोड़कर, सभी प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे। इंजीनियरिंग विषयों के प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे।

(ख) उम्मीदवारों को भाषा के प्रश्न पत्र को छोडकर, शेष सभी प्रश्न पत्रों का हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर लिखने का विकल्प होगा।

(4) प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रथम प्रश्न अनिवार्य होगा (जिसमें 20 लघु प्रश्न सम्मिलित होंगे, प्रत्येक का उत्तर एक अथवा दो पंक्तियों में देना होगा)। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा। इन प्रश्नों के अधिकांश भाग में पाठ्यक्रम का समावेश रहेगा।

10. (01) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के ऐच्छिक विषयों में प्रश्न पत्र वार स्केलिंग पद्धति लागू की जाएगी। इसमें स्केलिंग (Scaling) निम्न सूत्र द्वारा की जाएगीः–

सूत्र–

स्केल्ड अंक = $M+(x-m)S/s$ जैसे कि –

M= राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के समस्त ऐच्छिक विषयों के समस्त प्रश्न पत्रों के बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का ओव्हरआल माध्य (overall mean)

x= आवेदक द्वारा किसी ऐच्छिक विषय के विशिष्ट प्रश्न पत्र में प्राप्त बगैर स्केल किये गये अंक (raw marks)

m= किसी ऐच्छिक विषय के विशिष्ट प्रश्न पत्र में प्राप्त बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का माध्य (mean)

S= सभी ऐच्छिक विषयों के सभी प्रश्न पत्रों के बगैर स्केल किये अंकों (raw

marks) का मानक विचलन (Standard Deviation)

s= किसी ऐच्छिक विषय के प्रश्न पत्र के बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का मानक विचलन (Standard Deviation)

(2) अनिवार्य विषयों के अंकों की स्केलिंग नहीं होगी। प्रावीण्य सूची अनिवार्य विषयों के वास्तविक प्राप्तांकों तथा ऐच्छिक विषयों के स्केल्ड अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। इस प्रकार बनी प्रावीण्य सूची में विभिन्न श्रेणी में विज्ञापित पदों की संख्या के तीन गुने तथा अंतिम चयनित अभ्यर्थी के समान अंक पाने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये अर्ह घोषित किए जाएंगे। नानस्केल्ड अंकों की जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी।

11. मुख्य परीक्षा के दोनों अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषयों के विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट–तीन में दिये गये हैं।

.